प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका क्र. 2684/2006

कोरम : श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश और

श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश

याचिकाकर्ता : बद्री प्रसाद वर्मा, पिता धनु राम वर्मा, आयु लगभग 60 वर्ष, व्यवसाय कृषक और सामाजिक कार्यकर्ता, निवासी– ग्राम घोटिया, तहसील पलारी, जिला रायपुर (छ. ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1) भारत संघ, द्वारा सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली –110001
2) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर (छ. ग.)
3) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार की एक उपक्रम कंपनी, प्रादेशिक प्रबंधक रिटेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीओएल डिपो, बिजली नगर, जी.ई. रोड, भिलाई–3 जिला दुर्ग (छ०ग०)
4) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रायपुर (छ. ग.)
5) कलेक्टर, रायपुर तहसील और जिला रायपुर (छ. ग.)
6) अध्यक्ष, नगर पंचायत, पलारी, जिला रायपुर (छ. ग.)
7) कुमारी अनुराधा खूंटे, निवासी– ग्राम और पोस्ट पलारी, जिला रायपुर (छ. ग.)

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्रीमती रेणु कोचर, अधिवक्ता

: उत्तरवादी क्र. 1 के लिए श्री भीष्म किंगर, स्थायी अधिवक्ता

: राज्य/उत्तरवादी 2, 4 और 5 के लिए श्री उत्कर्ष वर्मा,

विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता

: उत्तरवादी क्र. 3 के लिए श्री संजय के. अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता।

: उत्तरवादी क्र. 6 के लिए श्री आलोक पांडे, अधिवक्ता

: उत्तरवादी क्र. 7 के लिए जे. ए. लोहानी, अधिवक्ता

मौखिक आदेश

(दिनांक 31 अगस्त, 2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश एसआर नायक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया:–

बद्री प्रसाद वर्मा पिता धनु राम वर्मा नामक इस याचिकाकर्ता, ने एक लोकहित में निःस्वार्थ चरित्र का होने का दावा करते हुए, लोक हेतुक का समर्थन करने के लिए यह रिट याचिका दायर की है। यह शिकायत की गई है कि यद्यपि यहाँ 7 वें उत्तरवादी को पल्लारी–आरंग रोड पर ग्रामीण खुदरा आउटलेट/पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति दी गई थी, परंतु भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों की मिलीभगत से, यहाँ तृतीय उत्तरवादी ने स्थान को परिवर्तित कर दिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, रायपुर रोड पर आउटलेट खोलने के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ऐसा आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने 7 वें उत्तरवादी को खुदरा दुकान/पेट्रोल पंप के डीलर के रूप में नियुक्त करने वाले आक्षेपित आदेश को रद्द करने और रिट याचिका के साथ संलग्न विज्ञापन (अनुलग्नक पी–1) के निबंधनों में उत्तरवादी संख्या 1 से 4 को पल्लारी–आरंग रोड पर खुदरा दुकान/पेट्रोल पंप खोलने का निर्देश देने के लिए रिट याचिका दायर की है। इस न्यायालय ने दिनांक 3.7.2006 को रिट याचिका पर विचार करने के बाद, नियमानुसार नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। नोटिस की तामीली पर, उत्तरवादीगण क्र. 1,3,6 और 7 की ओर से जवाबदावा दाखिल किया गया है। उत्तरवादी क्र. 3 निगम द्वारा दाखिल किए गए जवाबदावा में कहा गया है कि तीसरे उत्तरवादी ने पल्लारी–

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आरंग रोड पर आउटलेट उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। तीसरे उत्तरवादी के जवाबदावा की कंडिका 3 और 4 में, निम्नानुसार कथन किया गया हैः –

" 3) उत्तरवादी संख्या 3 ने पल्लारी में खुदरा दुकान का विज्ञापन जारी किया है और इसे स्वीकृत किया है। पल्लारी लगभग 10,000 की आबादी वाली एक नगरपालिका है तथा यह पेट्रोल और डीजल के लिए एक ग्रामीण बाजार है। पल्लारी नगर पंचायत क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पल्लारी में एक खुदरा आउटलेट खोलने का निर्णय लिया गया था। विज्ञापन पल्लारी (आरंग रोड) के स्थान के लिए था। यह विचार पल्लारी के ग्रामीण बाजार में आरओ लगाने का था, जिसमें ग्राम पल्लारी से आरंग रोड तक का क्षेत्र भी शामिल है। इसके अनुसार, साक्षात्कार के लिए आए सभी 9 आवेदकों पर स्वतंत्र चयन समिति द्वारा विचार किया गया और स्वतंत्र चयन समिति द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक आवेदक, जिन्होंने पल्लारी और पल्लारी से आरंग रोड तक भूमि की उपलब्धता दर्शाई थी, को बिना किसी भेदभाव के अंक प्रदान किए गए। साक्षात्कार के दौरान, आवेदक, सुश्री अनुराधा खुटे ने ग्राम पल्लारी, खसरा संख्या 832 भाग में स्थित विवादित स्थल के भूमि दस्तावेज (2002 का विक्रय विलेख) प्रस्तुत किया, जो उनके और उनके भाई के संयुक्त स्वामित्व में है, जिसके लिए उन्हें तदनुसार अंक दिए गए। इस चयनित स्थल पर पेट्रोल पंप का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार, यह कहना गलत है कि स्थान आवेदक की सुविधा के अनुसार बदला गया है। इसके अलावा, विषयगत स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है जैसा कि याचिका में गलत तरीके से उल्लेख किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) यह पल्लारी–आरंग रोड नहीं है। याचिकाकर्ता अनावश्यक रूप से पल्लारी–आरंग रोड के रूप में स्थान पर जोर दे रहा है। पेट्रोल पंप/खुदरा आउटलेट की स्थापना का उद्देश्य पल्लारी गांव के निवासियों की जरूरतों को पूरा करना है, जो नगर पंचायत क्षेत्र है और जिसका निर्माण उत्तरवादी क्र. 7 द्वारा पल्लारी की नगरपालिका सीमा के भीतर किया जा रहा है। आरंग रोड का कुछ हिस्सा नगर पंचायत पल्लारी की नगरपालिका सीमा के भीतर भी है। पल्लारी में स्थल का चयन सख्ती से विज्ञापन के अनुसार है और उत्तरवादी क्र. 3 द्वारा जारी विज्ञापन से कोई विचलन नहीं है। अन्यथा वर्तमान स्थान पल्लारी के निवासियों के लिए अत्यंत सुलभ है। याचिकाकर्ता ने गलत तरीके से उल्लेख किया है कि विषयगत स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है अपितु यह पल्लारी की नगरपालिका की सीमा भीतर है। इसलिए याचिकाकर्ता का यह तर्क कि

इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 में स्थापित किया जा रहा है, गलत है और अभिलेख के विपरीत है।"

2 . 7 वें उत्तरवादी के जवाबदावा की कंडिका 3.ई में निम्नानुसार कथन किया गया हैः –

"3.ई. कि, श्री कुलदीपक वर्मा को इस बात में बहुत रुचि थी कि भारत पेट्रोलियम उनके किसी संबंधी प्रतिमा वर्मा, जो पूरन लाल वर्मा की पत्नी हैं और कूल दीपक वर्मा के भतीजे हैं, को पेट्रोल पंप डीलरशिप दे दे। वह जनपद परिषद की सदस्य भी हैं। उम्मीदवारों की सूची में अनुराधा खुंटे के ठीक बाद प्रतिमा वर्मा का नाम है, चूंकि उन्हें मौका नहीं दिया गया एवं भारत पेट्रोलियम ने प्रतिमा वर्मा को मौका दिया, जबकि प्रतिमा वर्मा ने एक अनुसूचित जाति की महिला को मौका दिया। इससे पलारी के वर्मा परिवार को भी काफी नाराजगी है। इसी वजह से नगर पंचायत अध्यक्ष कुलदीपक वर्मा अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और अनुराधा खुंटे को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। जब यह बात नगर पंचायत के पार्षदों के संज्ञान में आई, तो उन्होंने उत्तरवादी संख्या 6 कुलदीपक वर्मा के विरुद्ध एक संकल्प पारित किया। मैं संकल्प की प्रति संलग्न कर रहा हूँ, कृपया अनुलग्नक डी.3 का अवलोकन करें। सदस्यों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। अनुलग्नक डी. 3.

कुमारी अनुराधा खूंटे पलारी जिला रायपुर निवासी का भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोलियम से संबंधित अधिभोग हेतु भूमि खसरा नंबर 832 रकबा 0.49 में पेट्रोल पंप लगाने में हम सभी पार्षद किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है अतएव समस्त पार्षद नीचे हस्ताक्षर कर आज दिनांक 17/11/2005 को किया गया यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जनहित को देखते हुये दिया जा रहा है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभी–अभी में, न्यायालयों द्वारा अक्सर यह कहा और दोहराया गया है कि बेईमान और रिष्टिपूर्ण जनहित याचिकाओं के खतरे को शुरुआत में ही रोका जाना चाहिए। जनहित याचिका, लोक न्याय के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक सामाजिक तंत्र के रूप में, एक हितकारी तकनीक है जिसे सावधानी और जवाबदेही के साथ लागू किया जाना चाहिए। जनहित याचिका को एक तकनीक के रूप में उन स्वार्थी और बेईमान तत्वों द्वारा इस्तेमाल या दुरुपयोग

नहीं किया जाना चाहिए जो जनहित याचिका की आड़ में याचिकाकर्ता के रिश्तेदारों को राहत दिलाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसा नहीं है कि राज्य की कार्रवाई में होने वाले प्रत्येक उल्लंघन और अनियमितता को जनहित याचिका का विषय बनाया जा सके। जनहित को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचने और बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की स्थिति ही जनहित याचिका का विषय हो सकती है।

4. इस मामले में, सबसे पहले तो ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता, जिसकी आयु 60 वर्ष है, लोक हित के लिए निःस्वार्थ लोक प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है। लेकिन, आश्चर्यजनक रूप से, अब उत्तरवादी संख्या 7 द्वारा दायर प्रतिवाद की कंडिका 3.ई में परिलक्षित होता है, जो निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता ने यह जनहित याचिका अप्रासंगिक विचार के लिए और अपने रिश्तेदार की मदद करने के लिए दायर की है। इसलिए, यह रिट याचिका प्रारंभिक चरण में ही खारिज किए जाने योग्य है। चाहे जो भी हो , उपर्युक्त कथनानुसार, सातवें उत्तरवादी जैसे किसी भी व्यक्ति को आउटलेट प्रदान करना, भले ही आउटलेट खोलने के लिए जगह चुनने के मामले में कुछ विचलन हो, यह अपने आप में जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता है। भारत सरकार और उसके प्राधिकारी हर साल हजारों अनुज्ञप्तियां और अनुमति प्रदान और नवीनीकृत करते हैं और न्यायालय ऐसी अनुमतियों/अनुमतियों में होने वाली प्रत्येक अनियमितता या उल्लंघन को जनहित याचिकाओं में मुद्दा उठाने का वैध आधार नहीं मान सकता है। निःसंदेह, शिकायत दर्ज कराने के लिए आउटलेट प्रदान करने हेतु आवेदन करने वाले अन्य व्यथित आवेदकों के लिए भी यह खुला है। ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ता के रिश्तेदार और अन्य आवेदक, यदि कोई हैं, यदि उन्हें अवैध रूप से आउटलेट खोलने के लिए अनुदान से वंचित किया जाता है, तो वे असहाय हैं या अपने विधिक उपायों का आश्रय नहीं ले सकते। जनहित याचिका केवल उन लोगों की ओर से ही संस्थित की जा सकती है जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अक्षमताओं के कारण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कानूनी उपाय नहीं अपना सकते हैं। जो भी हो, गुणागुण के आधार पर भी, तीसरे उत्तरवादी निगम द्वारा दिए गए कथन को देखने के बाद, 7 वें उत्तरवादी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में कोई सार नहीं है। हमारे पास तीसरे उत्तरवादी पेट्रोलियम निगम द्वारा दिए गए शपथ अधीन कथन की सत्यनिष्ठा पर संदेह करने का कोई उचित कारण नहीं है। किसी भी दृष्टिकोण से देखते हुए, यह एक उपयुक्त प्रकरण नहीं है, जिस पर हमें इस रिट याचिका पर विचार करना चाहिए। इस रिट याचिका को तदनुसार खारिज किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

प्रिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**